



वार्षिक रिपोर्ट
2024 - 2025

राजसमन्द जन विकास संस्थान



वार्षिक रिपोर्ट | 2024 - 2025

संपादन	: शकुंतला पामेचा
मार्गदर्शन	: अरविन्द कुमार
लेखन एवं डिजाईन	: भूपेन्द्र सिंह राजपुत
सहयोग	: समस्त संस्थान सदस्य
प्रकाशन	: राजसमन्द जन विकास संस्थान

प्रकाशित सभी तस्वीरों व नामों के प्रकाशन से संबंधित अनुमति ली गयी है

राजसमन्द जन विकास संस्थान



प्रष्ठभूमि

राजसमन्द जिला, जहाँ ओबीसी समुदाय की बहुलता है, वहाँ की सामाजिक संरचना में महिलाओं को आज भी अंधविश्वास, रूढ़ियाँ और परंपरागत कुरुतियों का बोझ ढोना पड़ रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, और स्वावलंबन की दृष्टि से यहाँ की महिलाएं और किशोरियाँ आज भी काफी पीछे हैं। इन्हीं परिस्थितियों को बदलने और महिलाओं, किशोर-किशोरियों व बच्चों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति को बेहतर बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2003 में 'राजसमन्द जन विकास संस्थान (RJVS)' की स्थापना की गई।

संस्थान का उद्देश्य केवल सेवा देना नहीं, बल्कि स्थायी सामाजिक परिवर्तन की दिशा में समुदाय को साथ लेकर कार्य करना रहा है। महिलाओं की भागीदारी को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए संस्थान ने 1998 से 'राजसमन्द महिला मंच' के रूप में जिला स्तर पर अभियान की शुरुआत की, जो आज एक मजबूत महिला संगठन के रूप में 13,000 से अधिक महिलाओं को संगठित कर चुका है।

राजसमन्द से शुरू हुआ यह प्रयास अब राजस्थान के 21 जिलों में फैल चुका है। RJVS ने ना केवल अपना भौगोलिक कार्यक्षेत्र बढ़ाया है, बल्कि कार्य के विविध आयामों — जैसे महिला सशक्तिकरण, किशोरियों की शिक्षा, बच्चों की सुरक्षा, आजीविका, स्वास्थ्य, और पंचायत स्तरीय नेतृत्व विकास — में भी सशक्त हस्तक्षेप किया है।

स्थानीय जमीनी अनुभव, महिला नेतृत्व, सरकारी सहयोग और सामुदायिक भागीदारी RJVS की सबसे बड़ी ताकत रही है, जिसने इसे एक सशक्त, भरोसेमंद और परिवर्तनकारी संगठन के रूप में स्थापित किया है।



BAJAJMIND JAN VIKAS SANSTHAN
WOMEN PROGRESS CENTER



राजसमंत जन विकास संस्थान

राजसमंत महिला मंच (संगठन)

13000+
संगठन सदस्य





अनुक्रमणिका

निदेशक सन्देश.....	7
विज्ञान.....	8
मिशन.....	9
हमारी पहुँच (भौगोलिक).....	10
परिणाम (आंकड़ों में).....	11
सतत विकास लक्ष्यों में योगदान.....	12
जागृति परियोजना.....	13-18
सुकून.....	19-24
आगाज.....	25-35
अपराजिता.....	36-40
महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र.....	41
नारी अदालत.....	42
हेल्पलाइन.....	43
पुस्तकालय.....	44
स्थापना दिवस कार्यक्रम.....	45
बहिना दूज कार्यक्रम.....	46
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम.....	47
OBR कार्यक्रम.....	48
बदलाव की कहानियाँ.....	49
हितधारकों की राय.....	50
नींव के पत्थर.....	51-52
सुर्खियाँ.....	53
हमारे साझेदार.....	54
वित्तीय लेखा-जोखा.....	55-57
हमारे मजबूत स्तम्भ.....	58

निदेशक सन्देश

प्रिय साथियों,

आपके हाथों में यह वार्षिक रिपोर्ट उस निरंतर प्रयास, प्रतिबद्धता और सामूहिक संकल्प की जीवंत झलक है, जिसे हमने वर्ष 2024-25 में जमीनी स्तर पर साकार किया। यह वर्ष हमारे लिए न केवल उपलब्धियों का, बल्कि आत्ममंथन, नवाचार और जनसरोकारों को और गहराई से समझने का अवसर भी रहा।

राजसमन्द जन विकास संस्थान और राजसमन्द महिला मंच का यह सफर अब केवल कार्यक्रमों और आंकड़ों तक सीमित नहीं रहा — यह एक ऐसा आंदोलन बन चुका है जो समाज के सबसे वंचित, उपेक्षित और हाशिए पर खड़े लोगों, विशेषकर महिलाओं, किशोरियों और बच्चों को गरिमा, अधिकार और आवाज देने का कार्य कर रहा है।

इस वर्ष हमने शिक्षा से वंचित किशोरियों को दोबारा स्कूल से जोड़ा, बाल विवाह की रोकथाम में ठोस हस्तक्षेप किए, एकल महिलाओं को उनके हक की लड़ाई में ताकत दी, और हजारों परिवारों को सरकारी योजनाओं से जोड़कर आत्मनिर्भरता की राह पर बढ़ाया। “नारी अदालत”, “महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र”, “ई-मित्र सेवा केंद्र” और “हेल्पलाइन” जैसे हमारे प्रयास आज सैकड़ों नहीं, हजारों ज़िंदगियों में भरोसे और बदलाव की अलख जगा रहे हैं।

हमारा विश्वास रहा है कि जब महिलाएं संगठित होती हैं और उन्हें सुरक्षित, संवेदनशील और सहारा देने वाला वातावरण मिलता है, तब वे सामाजिक बदलाव की सबसे प्रभावशाली प्रतिनिधि बनती हैं। यही कारण है कि हर गाँव, हर समुदाय, हर महिला के साथ हम संवाद, सहयोग और समर्पण की नींव पर खड़े हैं।

मैं संस्थान की सभी साथियों, साथी संगठनों, क्षेत्रीय टीमों, वालंटियर्स, साझेदारों और समुदाय के उन नायकों का आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके अथक प्रयासों से यह यात्रा आगे बढ़ रही है।

आइए, हम इस यात्रा को आगे भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ जारी रखें — ताकि हम एक ऐसा समाज रच सकें जहाँ हर महिला, हर बच्चा और हर किशोरी सम्मान, न्याय और समान अवसर के साथ अपना जीवन जी सके।

शुभकामनाओं के साथ...

शकुंतला पामेचा
निदेशक



“

विज़न

एक ऐसे समाज का निर्माण करना जो विशेषकर महिलाओं, किशोरियों और बच्चों के लिए समान अवसर, न्याय, समानता और सम्मान सुनिश्चित करें।



“

मिशन

समाज में समानता के लिए आवश्यक वातावरण का निर्माण



हमारी पहुँच (भौगोलिक)



2535

गाँवों तक पहुँच



4,52,690

बच्चों, किशोर-किशोरियों, महिलाओं और उनके परिवारों तक सीधी पहुँच

1998 से मार्च 2025 तक


अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक


21 जिलें

63 ब्लॉक

408 ग्राम पंचायत

1483 गाँव





सतत विकास लक्ष्यों में योगदान




जागृति परियोजना

यह परियोजना 2015 में राजसमंद जिले के 10 गांवों में बाल विवाह को कम करने के व्यापक लक्ष्य के साथ शुरू हुई। पिछले कुछ वर्षों में, इस परियोजना ने अपनी पहुंच का विस्तार किया है और अपने प्रभाव को गहरा किया है, जिसमें युवा लड़कियों की शिक्षा, विद्यालय सुविधाओं में सुधार व बाल संरक्षण समितियों के सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

2015 से 2023 तक : राजसमंद व भीलवाड़ा जिले के 8 ब्लॉक की 51 ग्राम पंचायतों के 260 गाँवों में।

वर्तमान कार्यक्षेत्र: राजसमंद व भीलवाड़ा जिले के 2 ब्लॉक की 6 ग्राम पंचायतों के 30 गाँवों में।







पहुँच





किशोर लीडर के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण: समूह लीडर में नेत्रत्व क्षमता का विकास करने व उनके कौशल और आत्मविश्वास को बढ़ाने, प्रभावी सामुदायिक सहभागिता और सहकर्मि समर्थन सुनिश्चित करने के लिए नेतृत्व प्रशिक्षण आयोजित किया गया है।



पिता-पुत्री संवाद कार्यशाला: पिता और पुत्रियों के बीच खुली चर्चा को सुविधाजनक बनाने, मजबूत रिश्तों को बढ़ावा देने और शिक्षा और देर से विवाह करने के महत्व को बढ़ावा देने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की गईं।



राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का उत्सव: बालिकाओं के अधिकारों और अवसरों की वकालत करते हुए जागरूकता बढ़ाने और उनकी उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए।

बाल संरक्षण समितियों के साथ प्रशिक्षण और बैठकें: बाल विवाह की निगरानी और रोकथाम में स्थानीय प्रयासों को मजबूत करने के लिए बाल संरक्षण समितियों (सीपीसी) के 144 सदस्यों के साथ प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए।



एक्सपोजर विजिट: प्रतिभागियों को पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली को समझने व उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने हेतु पुलिस थाने की एक्सपोजर विजिट पर ले जाया गया।



लीडर्स मासिक समीक्षा व आयोजना बैठक: प्रतिमाह ब्लॉक स्तर व त्रैमासिक जिला स्तरीय लीडर्स बैठकों का आयोजन कर उनके द्वारा फील्ड में किये जा रहे कार्यों को समझना, चुनौतियों पर चर्चा व अगले माह की आयोजन तैयार की जाती है।





सामुदायिक बैठकें: परियोजना के उद्देश्यों के लिए स्थानीय भागीदारी और समर्थन सुनिश्चित करने के लिए समुदाय के सदस्यों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की गईं।



सत्र एवं रैलियां: बाल विवाह और बालिका शिक्षा के मुद्दों पर छात्रों और समुदाय को शामिल करने के लिए स्कूलों में संवादात्मक सत्र और जागरूकता रैलियां आयोजित की गईं।



आउटरीच कार्यक्रम: बाल विवाह के हानिकारक प्रभावों और विशेष रूप से किशोर लड़कियों के लिए शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रमुख सामुदायिक नेताओं और हितधारकों को लक्षित करते हुए गांवों में संरचित आउटरीच कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की गई है।

सुकून परियोजना

इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं एवं किशोरियों का सशक्तिकरण करना, उनके प्रति होने वाली हिंसा की रोकथाम करना तथा इस विषय पर समाज में व्यापक जागरूकता फैलाना है।


परियोजना के अंतर्गत महिलाओं और किशोरियों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाता है, जिससे वे अपने हक और सम्मान के साथ जीवन जी सकें। साथ ही, यह पहल समाज में महिलाओं की समान भागीदारी और अधिकार सुनिश्चित करने में सहयोग प्रदान करती है।

प्रताड़ित महिलाओं के मामलों में तत्काल हस्तक्षेप कर उन्हें सहायता, परामर्श एवं राहत उपलब्ध कराना भी इस परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे वे आत्मनिर्भर एवं सुरक्षित जीवन की ओर अग्रसर हो सकें।

इसके अतिरिक्त, ई-मित्र केंद्रों के सहयोग से महिलाओं को आवश्यक सरकारी योजनाओं की जानकारी और डिजिटल सेवाओं तक पहुंच उपलब्ध कराई जाती है, जिससे वे प्रशासनिक सेवाओं से जुड़ सकें और उनकी समस्याओं का समाधान सुगमता से हो सके।

कार्यक्षेत्र: राजसमंद जिले के कुम्भलगढ़ और भीम ब्लॉक की 2 ग्राम पंचायतों के 10 गाँवों में।









महिला लीडर के लिए क्षमता निर्माण

प्रशिक्षण: 30 समूह लीडर में नेतृत्व क्षमता का विकास करने व उनके कौशल और आत्मविश्वास को बढ़ाने, के लिए नेतृत्व प्रशिक्षण आयोजित किया गया है।



परामर्श बैठक: भिन्न-भिन्न जाति की महिलाओं द्वारा संचालित की जा रही है।

इसका उद्देश्य पीड़ित महिलाओं को कम समय में परामर्श व न्याय दिलाना है, संस्थान द्वारा हर महीने की 15 तारीख को परामर्श बैठक का आयोजन किया जाता है इन बैठक के माध्यम से हिंसा से जुड़े मुद्दों पर पेरेवी की जाती है और परामर्श करके मुद्दों को सुलझाया जाता है।



स्टाफ क्षमतावर्धन:

राजस्थान पुलिस जयपुर से मास्टर ट्रेनर श्री धीरज कुमार के द्वारा महिलाओं व बच्चों से जुड़े विभिन्न कानूनों व अधिनियमों पर प्रशिक्षण प्रदान किया। प्रशिक्षण का उद्देश्य संस्थान सदस्यों की कानूनी समझ को बढ़ाना था ताकि वे अपने कार्यों को और अधिक प्रभावी रूप से कर सकें।



बालिका दिवस के अवसर पर रचनात्मक गतिविधि आयोजित जाती है, जिसमें बालिकाओं ने चार्ट पेपर पर अपने भावों को शब्दों और चित्रों के माध्यम से व्यक्त किया। यह न केवल उनकी अभिव्यक्ति क्षमता को बढ़ाने में सहायक रही, बल्कि आत्मविश्वास व आत्मबोध के विकास में भी उपयोगी सिद्ध हुई।



विद्यालय सेशन - विद्यालय सेशन सुकून परियोजना की सराहनीय पहल है। करियर और जागरूकता सत्रों के माध्यम से बालक-बालिकाओं को जागरूक करना और उन्हें अपने भविष्य के बारे में सूचित करना एक महत्वपूर्ण कदम है।



एडवोकेसी - हिंसा के मामलों, विद्यालय समस्याओं व ग्राम स्तरीय समस्याओं के लिए किशोरियों व महिलाओं के समूह द्वारा जिला, ब्लॉक व ग्राम पंचायत स्तर पर स्थित सरकारी विभागों के साथ एडवोकेसी का कार्य कर समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु कार्य किया जाता है।

ई-मित्र सेवा केन्द्र

एक नवाचार: एक सराहनीय पहल करते हुए ई-मित्र सेवा केन्द्र की शुरुआत की है। यह केन्द्र ग्रामीण और वंचित समुदायों के लिए एक प्रभावी नवाचार के रूप में सामने आया है, जिसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं और सेवाओं को लोगों की पहुंच में लाना है, विशेषकर महिलाओं, बुजुर्गों और असाक्षर लोगों के लिए।

ई-मित्र केन्द्र के माध्यम से लोगों को आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, जनाधार, पेंशन, श्रमिक पंजीकरण, बिजली-पानी के बिल भुगतान, बैंकिंग सेवाएं, और विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी व आवेदन की सुविधा सरल और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराई जाती है।

इस नवाचार से समुदाय के लोग सरकारी सेवाओं के लिए बिचौलियों पर निर्भर होने के बजाय खुद जानकारी लेकर लाभ उठा पा रहे हैं। इसके माध्यम से संस्थान ने आमजन के लिए सेवाओं को जमीनी स्तर पर मजबूती दी है और ग्रामीण समाज में जवाबदेही व पारदर्शिता को बढ़ावा दिया है। यह पहल न केवल सेवाओं की सुलभता बढ़ाती है, बल्कि ग्रामीण समाज को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है।

298

लोगों का सरकारी योजनाओं से जुड़ाव



आगाज परियोजना

इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य बाल विवाह में कमी लाना है। किशोर-किशोरियों व उनके परिवारों के व्यवहार में बदलाव लाना, ग्राम पंचायत स्तर पर बनी हुयी बाल संरक्षण समितियों को साथ लेकर उन्हें सक्रीय व सशक्त करना तथा शिक्षा से वंचित और पढाई छोड़ चुके बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में वापस जोड़ना है साथ ही किशोर-किशोरियों के द्वारा एडवोकेसी करते हुए व समुदाय, भामाशाह व शिक्षा विभाग के साथ मिलकर विद्यालय में मिलने वाली मुलभुत सुविधाओं में सुधार लाना है।

2022 से 2024 : राजसमंद जिले के खमनोर, आमेट व राजसमन्द ब्लॉक की 12 ग्राम पंचायतों के 36 गाँवों में।

वर्तमान कार्यक्षेत्र: राजसमंद जिले के आमेट और राजसमन्द ब्लॉक की 6 ग्राम पंचायतों के 18 गाँवों में।









किशोर लीडर के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण: समूह लीडर में नेत्रत्व क्षमता का विकास करने व उनके कौशल और आत्मविश्वास को बढ़ाने, प्रभावी सामुदायिक सहभागिता और सहकर्मी समर्थन सुनिश्चित करने के लिए नेतृत्व प्रशिक्षण आयोजित किया गया है।



विद्यालय सत्र: बाल विवाह, रोजगार परामर्श, डिजिटल साक्षरता, CV निर्माण, इंटरव्यू कौशल, आदि विषयों पर विद्यालयों में जागरूकता सत्र आयोजित किये गए ताकि 21 वीं सदी के तकनीकी युग के साथ किशोरियां आगे बढ़ सकें।



राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का उत्सव: बालिकाओं के अधिकारों और अवसरों की वकालत करते हुए जागरूकता बढ़ाने और उनकी उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए।

बाल संरक्षण समितियों के साथ प्रशिक्षण और बैठकें: बाल विवाह की निगरानी और रोकथाम में स्थानीय प्रयासों को मजबूत करने के लिए बाल संरक्षण समितियों (सीपीसी) के सदस्यों के साथ प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए।



एक्सपोजर विजिट: प्रतिभागियों को अन्य सफल पहलों से सीखने, उनके ज्ञान का विस्तार करने और क्रॉस-लर्निंग को प्रोत्साहित करने के लिए एक्सपोजर विजिट पर ले जाया गया।



लीडर्स मासिक समीक्षा व आयोजना बैठक: प्रतिमाह ब्लॉक स्तर व त्रैमासिक जिला स्तरीय लीडर्स बैठकों का आयोजन कर उनके द्वारा फील्ड में किये जा रहे कार्यों को समझना, चुनौतियों पर चर्चा व अगले माह की आयोजन तैयार की जाती है।





सामुदायिक बैठकें: परियोजना के उद्देश्यों के लिए स्थानीय भागीदारी और समर्थन सुनिश्चित करने के लिए समुदाय के सदस्यों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की गईं।



रैलियां: बाल विवाह और बालिका शिक्षा के मुद्दों पर बाल संरक्षण समिति सदस्यों के द्वारा समुदाय को शामिल कर गाँवों में बाल विवाह नहीं करने हेतु जागरूकता रैलियां आयोजित की गईं।



जाति पंचो, पंडितों और मोलवियों के साथ बैठकें: बाल विवाह को कम करने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए जाति पंच पुजारियों और धार्मिक नेताओं सहित समुदाय के नेताओं के साथ बैठकें आयोजित की गईं।

लर्निंग कम्युनिटी (LC)

इस कार्यक्रम का उद्देश्य लड़कियों के नेतृत्व, संचार कौशल, लिंग-समान दृष्टिकोण, समस्या सुलझाने की क्षमता, टीम वर्क और आत्म-सम्मान को बढ़ाना है। उन्हें अपने समुदाय के भीतर पहल की योजना बनाने, डिजाइन करने और उसे लागू करने के लिए सशक्त बनाना ताकि वे जिन चुनौतियों की पहचान करती हैं उनका समाधान कर सकें। इसके साथ ही, यह व्यापक दृष्टिकोण संस्थान को अपने कार्यक्रमों में लड़की-केंद्रितता को शामिल करने, प्रभाव को बढ़ाने और सभी पहलों में लिंग-संवेदनशील लेंस को मजबूत करने में मदद करेगा। लर्निंग कम्युनिटी के तहत 10 लड़कियां एक परिवर्तनकारी एक वर्षीय कार्यक्रम से गुज़रेंगी। इस पहल में प्रशिक्षण सत्र, साप्ताहिक मेंटरशिप समर्थन और मासिक योजना सत्र शामिल हैं जिसके माध्यम से किशोरियां अपनी क्षमता को और अधिक बढ़ा पायेगी।





सबसे पहले 10 किशोरियों का उनकी सहमती से चयन किया गया तथा उनके साथ ही उनके अभिभावकों के साथ बैठक कर उनसे भी सहमती प्राप्त की गयी तथा परियोजना के बीच-बीच में किशोरियों के द्वारा किये जा रहे कार्यों को उनके अभिभावकों के साथ साझा किया गया।



परियोजना की शुरुआत में सभी चयनित 10 किशोरियों के साथ में प्रशिक्षण सत्र का आयोजन कर सिखाया गया की हमें किस तरह से प्रोजेक्ट हेतु मुद्दे की पहचान कर प्रोजेक्ट और बजट बनाना है और उसका धरातल पर क्रियान्वयन करना है



किशोरियों के क्षमतावर्धन हेतु उनके साथ 10 अलग-अलग तरह के सत्र आयोजित किये गए जिनमें उन्हें जेंडर, समाज, समुदाय, नेतृत्व, निर्णय, किशोरी संगठन, लक्ष्य निर्धारण, गर्ल पाथ टूल, सामाजिक सपोर्ट सिस्टम व परियोजना के विकास की मूलभूत बातें सिखाई गयी।

किशोरियों द्वारा प्रोजेक्ट वर्क



फियावडी गाँव का विद्यालय हाईवे के विपरीत दिशा में बना हुआ होने के कारण अभिभावक बच्चों व किशोरियों को विद्यालय नहीं भेजते थे क्योंकि हाईवे क्रॉस करते समय खतरा बना रहता था व कई बार हादसे भी हो चुके हैं। LC की किशोरियों ने हाईवे अथॉरिटी से बात करके बेरीकैडस लगवाए।



विद्यालय में राजस्थान सरकार के द्वारा प्रतिमाह माहवारी प्रबंधन हेतु सेनेटरी पेड़ वितरित किये जाते हैं लेकिन उन्हें डिस्पोज करने के लिए सही जगह नहीं थी और इस वजह से किशोरियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। LC की किशोरियों ने एडवोकेसी करते हुए विद्यालय में सेनेटरी पेड़ डिस्पोज करने की मशीन लगवायी।



गाँव में पानी की समस्या बहुत होने के कारण किशोरियों के द्वारा गाँव वालों को साथ लेकर एडवोकेसी करते हुए ग्राम पंचायत में पत्र दिया, जिसके परिणाम स्वरूप अब नियमित पानी की सप्लाई होने लगी है व विद्यालय के हैंडपंप को भी दुरुस्त कर दिया है।

ब्रिज कोर्स केन्द्र

ब्रिज कोर्स केन्द्र ड्रॉपआउट बच्चों, विशेषकर लड़कियों के लिए है, जो अस्थायी रूप से अपनी पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं या किन्हीं कारण से विद्यालय नहीं जा पाते हैं। ऐसे बच्चों को केन्द्र के माध्यम से निःशुल्क, समान और गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा दी जाती है। अलग-अलग परख के माध्यम से आंकलन पर नज़र रखने और बच्चों को उनकी शिक्षा जारी रखने में सहायता करने के लिए कई रणनीतियों को लागू किया जाता है। जिसके परिणामस्वरूप अब ये सभी बच्चे आगामी कक्षा में विद्यालय में प्रवेश लेंगे और निरंतर रूप से शिक्षा ग्रहण करके अपना भविष्य निर्माण करेंगे।

203

ड्रॉपआउट की पहचान

66

ब्रिज कोर्स केन्द्र पर अध्ययन

45

विद्यालय/महाविद्यालय
में प्रवेश

49

ओपन शिक्षा से जुड़ाव

15

कस्तूरबा गांधी बालिका
विद्यालय में प्रवेश

6

स्कूल सुविधाओं में सुधार





केन्द्र का संचालन: समुदाय के सहयोग से संस्थान द्वारा 6 ब्रिज कोर्स केन्द्रों का संचालन किया गया जहाँ 66 ड्रॉप बच्चों को वर्षभर अनुदेशकों के द्वारा कक्षानुसार अलग-अलग विषयों में रोचक गतिविधियों के माध्यम से अध्ययन करवाया गया तथा जुलाई माह में विद्यालयों में प्रवेश करवाया जायेगा ।



अभिभावक बैठक: नियमित रूप से केन्द्र पर पढ़ने नहीं आने वाले नामांकित बच्चों के साथ बार-बार मासिक अभिभावक बैठकों का आयोजन कर उनके नियमित आने हेतु चर्चा व परामर्श किया गया, जिसकी बदौलत सभी केन्द्रों की औसत उपस्थिति 70 प्रतिशत से अधिक रही ।



होम विजिट: बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने व ब्रिज कोर्स पर अध्ययन के पश्चात शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ाव हेतु विधालय में प्रवेश हेतु होम विजिट कर अभिभावकों से नियमित संवाद किया गया ।

अपराजिता परियोजना

एकल महिलाओं (विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, अविवाहित और परित्यक्त) को सशक्त बनाने के लिए बहुआयामी प्रयास किए जा रहे हैं। ये प्रयास न केवल उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए हैं, बल्कि उन्हें एक सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन जीने में सक्षम बनाने के लिए भी हैं। यह पहल उन्हें केवल संबल ही नहीं, बल्कि एक गरिमापूर्ण जीवन जीने की दिशा में आगे बढ़ाने का मजबूत आधार प्रदान कर रही है।



कार्यक्षेत्र: 20 जिलों के 55 ब्लॉक की 275 ग्राम पंचायतों के 1375 गाँवों में।







पहुँच

1375

गाँवों तक पहुँच

148300

परिवारों तक पहुँच

45431

एकल महिलाओं तक पहुँच

8096

सदवा महिलाओं तक पहुँच

1890

पुरुषों तक पहुँच

303

हितधारकों से जुड़ाव



ग्राम पंचायत बैठकें - 20 जिलों के 55 ब्लॉक की 275 ग्राम पंचायतों में नियमित मासिक बैठकें आयोजित की जाती हैं, ऐसी बैठकों का मुख्य उद्देश्य एकल महिलाओं की सामूहिक शक्ति का एहसास कराना, जागरूकता पैदा करना और बढ़ाना, व्यक्तिगत और सामूहिक मुद्दों का समाधान करना और पंचायत स्तर पर नेतृत्व का निर्माण करना है।



क्लस्टर बैठकें - भौगोलिक स्थिति के आधार पर तीन क्लस्टर - राजसमंद, कोटा और जोधपुर बनाए गए हैं। इन क्लस्टरों में हर महीने 55 ब्लॉक फैसिलिटेटर्स की बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों में कार्य रिपोर्ट, विशेष मुद्दों, सामने आई समस्याओं के समाधान और अगले महीने की योजना पर चर्चा की गई।



राज्य स्तरीय समिति सदस्यों की बैठकें - जयपुर और उदयपुर में राज्य स्तरीय समिति सदस्यों की दो बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों के मुख्य उद्देश्य हैं:

1. जिला स्तरीय कार्यों की रिपोर्ट देना
2. भविष्य के लिए परियोजना के लिए कार्य बिंदु की योजना बनाना
3. जिला स्तर के मुद्दों को जिला स्तर तक पहुंचाना
4. जिलों से संकलित मुद्दों के आधार पर मांग पत्र तैयार करना
5. संगठन के पक्ष में निर्णय लेना।



पंचायत स्तरीय नेताओं का प्रशिक्षण - यह दो दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम 12-13 जून 2024 को अजमेर जिले के पुष्कर ब्लॉक में पंचायत स्तरीय एकल महिला नेताओं के लिए आयोजित किया गया था। प्रशिक्षण का उद्देश्य उनकी क्षमताओं को विकसित करना था ताकि वे पंचायत स्तर पर समाधान का हिस्सा बन सकें।



ब्लॉक फैसिलिटेटर प्रशिक्षण: प्रत्येक फैसिलिटेटर 5 ग्राम पंचायतों के लिए काम करता है। ऐसे 52 फैसिलिटेटर हैं और उनकी क्षमता निर्माण के लिए मई और अगस्त 24 में दो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन दो कार्यक्रमों में 52 फैसिलिटेटरों के साथ पुराने अनुभवी कार्यकर्ताओं (कुल 60) ने भाग लिया।



महिला सशक्तिकरण दिवस: 23 जून को एकल महिला सशक्तिकरण दिवस मनाया गया। 10 दिवसीय उत्सव की शुरुआत पंचायत और ब्लॉक स्तर पर बैठकों और समूह गतिविधियों से हुई, जिसमें एकल महिलाओं से संबंधित ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की गई। प्रत्येक पंचायत में मुद्दों पर आधारित शक्ति प्रदर्शन के साथ गतिविधि का समापन हुआ। कुछ पंचायतों में एकल महिलाओं की शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए रैलियां आयोजित की गईं।

महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र

25

मामलों पंजीकृत हुए

25

मामलों का समाधान किया

25

मामलों में परामर्श दिया

महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र एक ऐसी संरचना है, जो महिलाओं को हिंसा, उत्पीड़न और अन्य प्रकार की सामाजिक असमानताओं से सुरक्षा प्रदान करने के लिए कार्यरत है। इसका उद्देश्य महिलाओं को एक सुरक्षित मंच उपलब्ध कराना है जहाँ वे बिना भय के अपनी समस्याएं साझा कर सकें और उन्हें उचित मार्गदर्शन तथा सहयोग मिल सके। पुलिस और महिला अधिकारिता विभाग की भागीदारी से यह केन्द्र एक समन्वित प्रयास के रूप में कार्य करता है। संस्थान द्वारा 2015 से राजसमन्द में तथा फरवरी 2025 से गंगापुर, भीलवाड़ा में केन्द्र का संचालन किया जा रहा है।

महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र
थाना-गंगापुर(भीलवाड़ा)

नारी अदालत

2152

मामलें पंजीकृत हुए

1961

मामलों का समाधान किया

2463

मामलों में परामर्श दिया

1998 से मार्च 2025 तक

महिलाओं की, महिलाओं के लिए, महिलाओं के द्वारा

राजसमन्द जन विकास संस्थान (महिला मंच) ने सन 2010 में “नारी अदालत” की स्थापना की। गरीब, शोषित, अशिक्षित, हाशिए पर रहने वाली महिलाओं को उनके घरेलू या अन्य विवादों को शीघ्र और कम लागत पर हल करने में सहायता करने के उद्देश्य से, राजसमन्द जन विकास संस्थान (महिला मंच) द्वारा “नारी अदालत” के बैनर तले एक परामर्श केंद्र चलाया जाता है। महिलाओं को न्याय के लिए महीनों तक दर-दर भटकना नहीं पड़ता है और न ही अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। यह नारी अदालत महिला समूह द्वारा संचालित कम लागत वाली प्रणाली है जहां निर्णय लेने वाली भी महिलाएं हैं और जो भी निर्णय लिया जाता है, वह महिलाओं के अधिकारों से समझौता किए बिना सर्वसम्मति से लिया जाता है।



हेल्पलाइन

हिंसा से पीड़ित महिलाओं और किशोरियों को त्वरित सहायता और न्याय दिलाने के उद्देश्य से, संस्थान ने जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद के सहयोग से एक हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत की है। यह सेवा संकटग्रस्त महिलाओं और किशोरियों को कानूनी मार्गदर्शन, परामर्श और आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए समर्पित है।

जानकारी व सहायता
के लिए

हमें कॉल करें

9216767584

(24x7)

02952-221909

सुबह 10:00 से शाम 5:00 बजे तक

आपकी जानकारी गोपनीय रखी जायेगी



पुस्तकालय

राजसमन्द जन विकास संस्थान एवं महिला मंच द्वारा दिनांक 10 जनवरी 2022 को एक ऐसे पुस्तकालय की स्थापना की गई, जो युवाओं के सपनों को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पुस्तकालय न केवल एक अध्ययन केंद्र है, बल्कि एक ऐसा सुलभ और शांत वातावरण भी प्रदान करता है जहाँ युवा एकाग्रता से अपने भविष्य निर्माण में जुटे हैं।

पुस्तकालय परिसर में युवाओं के लिए आरामदायक बैठक व्यवस्था, तेज़ वाई-फाई कनेक्टिविटी, शुद्ध पेयजल हेतु RO और आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं। यहाँ अध्ययनरत छात्र-छात्राएँ न केवल देश-दुनिया की सामान्य जानकारी से अपडेट रहते हैं, बल्कि ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे हैं।

प्रत्येक माह औसतन 60 युवा इस पुस्तकालय में अध्ययन करते हैं। वर्ष 2024-25 के दौरान कुल 250 युवाओं ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लिया, जिनमें से कई ने सफलता प्राप्त कर न केवल पुस्तकालय का, बल्कि पूरे राजसमन्द जिले का नाम गौरवान्वित किया है।

यह पुस्तकालय निस्संदेह युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुका है, जहाँ से शिक्षा और समर्पण की एक नई यात्रा प्रारम्भ होती है।



स्थापना दिवस

22वां स्थापना दिवस गाँव कितेला, कुम्भलगढ़, राजसमन्द स्थित नयी परियोजना कार्यालय पर धूमधाम से मनाया गया। संस्थान ने अपनी 22वीं वर्षगांठ एक नयी ऊर्जा, नये कार्यालय और नये संकल्पों के साथ मनाई। यह अवसर सिर्फ एक समारोह नहीं था, बल्कि सामुदायिक सशक्तिकरण की दो दशक से अधिक लम्बी यात्रा की पुनः स्मृति और प्रेरणा का क्षण बना।

कार्यक्रम में किशोरियों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ और महिला समूहों की भागीदारी ने यह स्पष्ट किया कि संस्थान की जड़ें अब सिर्फ सेवा में नहीं, समुदाय की आत्मा में भी समाहित हैं। बीते वर्षों के अनुभवों और उपलब्धियों पर चर्चा करते हुए, यह भी रेखांकित किया गया कि जब महिलाओं को सुरक्षित वातावरण, कानूनी जानकारी और सलाह उपलब्ध होती है, तो वे बदलाव की सबसे सशक्त एजेंट बनकर उभरती हैं।



बहिना दूज कार्यक्रम

राजसमन्द में पहली बार "बहिना दूज" कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य एकल महिलाओं को एकजुट करना, एक-दूसरे की सुरक्षा और सहयोग का संकल्प लेना, और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना था।

इस अनोखे कार्यक्रम में सैकड़ों महिलाओं ने एक-दूसरे को रक्षा सूत्र बांधते हुए सहायता और सुरक्षा का वादा किया। इस अवसर पर महिलाओं के अधिकारों और उनसे जुड़े कानूनी प्रावधानों पर आधारित एक विशेष कानूनी मार्गदर्शिका का विमोचन भी किया गया, जो उनके अधिकारों की जानकारी देने और उन्हें कानूनी सहायता प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगी।



अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम

संस्थान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें गरीब, पीड़ित और भूमिहीन महिलाओं ने भाग लिया। इस वर्ष के कार्यक्रम की थीम "मेरी माटी, मेरा स्वाभिमान" रखी गई, जो महिलाओं के भूमि और संपत्ति अधिकारों की आवश्यकता व महत्व को रेखांकित करती है। समाज अभी भी महिलाओं को उनके ज़मीनी हक से वंचित करता आ रहा है इसलिए ज़्यादातर महिलायें या तो घर से बेघर कर दी जाती हैं या उन से धोके या लड़-झगड़कर ज़मीन छीन ली जाती है। कार्यक्रम में राजसमन्द जिले की सैंकड़ों महिलाओं ने शिरकत की तथा अपने क्षेत्र के जमीन व संपत्ति से सम्बंधित मुद्दों को रखा व अपनी आपबीती सुनाई। सन्दर्भ व्यक्ति और कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता श्रीमती मधुलिका ने महिलाओं को भूमि व संपत्ति अधिकारों से जुड़े कानूनों की जानकारी दी।



One Billion Rising कार्यक्रम

“दलित महिलाओं के खिलाफ बढ़ती यौनिक

हिंसा एवं सभी प्रकार के अन्याय

और अत्याचार को रोकने

के लिए उमड़ो”

1 BILLION
RISING 2025
RISE FOR FREEDOM



बदलाव की कहानियां

साहस और संवाद से बदला गाँव का माहौल

खुशी एक साहसी किशोरी है, जिसने न केवल अपने परिवार के साथ हो रहे अन्याय का सामना किया, बल्कि सामूहिक सामाजिक बहिष्कार जैसी पीड़ादायक स्थिति में भी हार नहीं मानी। गाँव के कुछ प्रभावशाली लोगों द्वारा खेत से जबरन रास्ता निकालने और विरोध करने पर मारपीट व अश्लील हरकतों तक की गई। मामला पुलिस तक पहुँचा, लेकिन बजाय न्याय के, पुलिस कार्यवाही खुशी के परिवार के विरुद्ध हुई और उन्हें हिरासत में भी लिया गया। परिवार पर सामाजिक दबाव इतना था कि पूरे गाँव ने उनका हुक्का-पानी बंद कर दिया, किसी को उनके घर आना-जाना तक मना कर दिया गया। इस स्थिति में संस्थान की फील्ड टीम ने हस्तक्षेप किया और पीड़ित परिवार का मनोबल बढ़ाया।

समस्या की गंभीरता को समझते हुए संस्थान के लीडर्स ने स्वयं गाँव का दौरा किया, संवाद किया और खुशी के परिवार को भावनात्मक सहयोग दिया। परिणामस्वरूप गाँव का माहौल शांत हुआ, विरोध और झगड़े बंद हुए।

हालांकि हुक्का-पानी बंदी अभी भी जारी है, खुशी और उसका परिवार अब आत्मनिर्भरता और समझदारी से मामले को सुलझाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। खुशी ने बताया कि अब गाँव में शांति है और भविष्य में वे स्वयं समुदाय को एकत्र कर समाधान निकालने का प्रयास करेंगी।



खुशी...

भीम, राजसमन्द



सशक्तिकरण की दिशा में एक संगठित कदम

अप्रैल 2024 में, सलुंबर ब्लॉक के खोलड़ी गांव की 26 अकेली महिलाएं रोज़गार से वंचित थीं। यह जानकारी मिलते ही संस्थान की फील्ड वर्कर केसर ने त्वरित पहल करते हुए PRI प्रतिनिधियों और प्रशासन से समन्वय स्थापित किया।

परिणामस्वरूप, इन महिलाओं को MGNREGS योजना के तहत 100 दिनों का काम दिलवाया।

100 दिन का कार्यकाल समाप्त होने के बाद, इन महिलाओं को स्थायी आजीविका के अवसरों की ज़रूरत थी। केसर ने एक बार फिर प्रशासन से समन्वय करते हुए 120 अकेली महिलाओं के लिए सिलाई कौशल प्रशिक्षण का प्रबंध किया। इस प्रशिक्षण में न केवल व्यावहारिक सिलाई सिखाई गई, बल्कि प्रतिभागियों को एक सिलाई मशीन और ₹1500 मूल्य की सिलाई किट भी निःशुल्क प्रदान की गई।

अब ये महिलाएं आत्मनिर्भर होकर सीखे हुए कौशल से आय अर्जित कर रही हैं।



हितधारकों की राय



महिला मंच एवं जन विकास संस्थान राजसमन्द जिले के गाँव ,ढाणी ,तहसील व् शहर और विभाग की महिलाओं को संगठित करने ,सशक्त करने एवं समाज में महिलाओं के प्रति न्याय ,समता ,गौरव एवं भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 1998 से निरंतर कार्यरत है । उक्त संगठन जाति ,वर्ग ,लिंग और समुदाय पर आधारित भेदभाव तथा महिला हिंसा के विरोध में प्रत्येक स्तर पर आवाज उठाता है साथ ही महिलाओं का क्षमतावर्धन ,प्रशिक्षण एवं उनमें जागृति के द्वारा उन्हें सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं स्वास्थ्य स्तर पर दृढ़ता प्रदान करने में सलग्न है ।

साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की गतिविधियों में सदैव सकारात्मक एवं सहयोगी रहकर महिलाओं को निशुल्क विधिक सहायता ,विधिक जागरूकता एवं सुलभ न्याय प्रदान करने में अपना योगदान प्रदान कर रहा है ।

इनके कार्यों के प्रति साधुवाद एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ ।



श्री नरेन्द्र कुमार
पूर्व सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
राजसमन्द



राजसमन्द जन विकास संस्थान कहे या राजसमन्द महिला मंच ,दोनों ही समाज सेवा के क्षेत्र में समय के दस्तावेज पर एक सशक्त हस्ताक्षर है । श्रीमती शकुन्तला जी पामेचा के कुशल नेतृत्व में यह संस्थायें पिछले काफी समय से महिलाओं के उन्नयन , उत्थान एवं कल्याण के लिए कार्य कर रही है । महिलाओं के साथ होने वाले अन्याय, अत्याचार एवं शोषण के विरुद्ध यह संस्थायें न केवल आवाज उठाती रही है । अपितु उनके निराकरण के सार्थक प्रयास भी करती रही है । महिलाओं की समस्याओं को शासन प्रसाशन एवं समुचित मंच तक ले जाना तथा समय – समय पर सभा,समारोह एवं शिविर आयोजित करना इन संस्थाओं की नियमित गतिविधियाँ है । संस्थान के उज्ज्वल भविष्य की मंगलकामना ।



डॉ. बसंती लाल बाबेल
सेवानिवृत्त न्यायाधीश
पूर्व उप सचिव गृह मंत्रालय, राजस्थान



नींव के पत्थर



पुष्पा सिंघवी
अध्यक्ष



निशा रानी
कार्यकारिणी सदस्य



मंजुला सुथार
उपाध्यक्ष



जमना वैष्णव
कार्यकारिणी सदस्य



शकुंतला पामेचा
सचिव



अनु वर्मा
कार्यकारिणी सदस्य



ललिता शर्मा
कोषाध्यक्ष



शशिप्रभा
कार्यकारिणी सदस्य



हीरा बाई गमेती
सदस्य



पारुल चौधरी
कार्यकारिणी सदस्य



शारदा खटीक
कार्यकारिणी सदस्य



दुर्गा गायत्री
सदस्य



अरविन्द पामेचा
सदस्य



वीणा द्विवेदी
सदस्य



सुरभि पामेचा नेगी
सदस्य



विनोद लसोड
सदस्य



चन्दन कोडिया
सदस्य



विनीता पालीवाल
सदस्य



जसोदा गमेती
सदस्य



नोसर देवी
सदस्य

हमारे साझेदार



वित्तीय लेखा-जोखा

RAJSAMAND JAN VIKAS SANSTHAN

Women progress centre, Somnath Circle, Nathdwara Road, Kankroli, Rajsamand-313324

CONSOLIDATED

Balance Sheet as on 31st March, 2024

(In Rs.)

LIABILITIES	AMOUNT	ASSETS	AMOUNT
GENERAL FUND		FIXED ASSETS	
Opening Balance	16,476,293	Land	192,759
Add-Surplus/ (Deficit) during the year 2022-23	1,256,188	Borewell	61,791
	17,732,481	Building	10,850,682
		Computers	601,603
Membership Fee		Office Equipments	33,940
Opening Balance	9,975	Furniture & Fixtures	463,025
Add: Addition during the year	9,975	Battery & Inverter	21,800
		Mobile Phones	62,300
Unutilised Grant	3,435,607	Closing Stock	
		Teri Stove	16,200
Loans and Advances to Others		Other Current Assets	
Mahila Manch	125,000	Accrued Interest for FY 2023-24	11,555
Astha Sansthan	275,000	TDS Receivable	50,976
	400,000	Others	12,338
Current Liabilities		Staff Advance	277,817
Security deposit	105,556	Advance to related parties	2,000
TDS Payable	2,508		354,686
Other Payables	524,245	Investments In Fixed deposits & Mutual funds	
	632,309	AU Small Finance Bank	2,739,239
		HDFC Bank	216,568
		Indusind bank	20,565
		UTI Debt funds	300,000
			3,276,372
		Cash & Cash Equivalents	
		Cash in hand	41,467
		Balance with Banks	6,233,746
			6,275,213
TOTAL	22,210,372	TOTAL	22,210,372


The Schedule referred to above form part of the Accounts

Signed in terms of our report of even date

For K P E J & CO LLP

Chartered Accountants

FRN - 030540C




CA DINESH KHERODIA

Partner

Membership Number - 195416




(Smt. Pushpa Singhavi)
President


(Smt. Shakuntala Pamecha)
Secretary

Date: 05.09.2024

Place: Kankroli, Rajsamand

UDIN: 24195416BJZZMU4339

RAJSAMAND JAN VIKAS SANSTHAN

Women progress centre, Somnath Circle, Nathdwara Road, Kankroli, Rajsamand-313324

CONSOLIDATED

Income & Expenditure Account for the year ended on 31st March, 2024

(In Rs.)

EXPENDITURE	AMOUNT	INCOME	AMOUNT
Administrative Expenses		Grant & Donations Received (2023-24)	
Audit & Accounting Fee	76,489	Grant in Aid	6,449,037
Rent expenses	93,000	Fees received from Library	149,719
Office expense	163,441	Donation Received	11,175
Photocopy & Stationary	6,419	Miscellaneous Income received	892,278
Newspaper and periodicals	4,530		7,502,208
Repairs & Maintenance	27,695	Interest and other incomes	
Telephone & Mobile	59,718	Interest on Saving Bank	178,801
Travelling & Conveyance Expenses	6,393	Interest on FDR	235,676
House Keeping Expenses	17,806		414,477
Water & Electricity expenses	89,638		
Gardening & Cleaning Exp	26,120		
Bank charges	19,503		
	590,752		
Programme Expenses			
Event expenses	127,828		
Honourarium expenses	598,067		
Travelling & Conveyance expenses	325,235		
Training & workshops	269,429		
Salary, Compensation & staff welfare expenses	2,156,864		
Awareness & Rally Expenses	138,176		
Review & meeting expenses	77,939		
Field work & visit expenses	427,909		
Printing and stationery expenses	93,736		
SHG Expenses	45,323		
Nari Adalat Meeting Expenses	30,430		
Sangthan Sathiyo Ki Sanjhi Yatra Expenses	1,056,524		
Yuva Mahotsav Expenses	31,256		
Advocacy & legal expenses	19,201		
Fixed & Other Miscellaneous expenses	671,829		
	6,069,746		
Surplus Carried over to Balance Sheet	1,256,188		
TOTAL	7,916,686	TOTAL	7,916,686

The Schedule referred to above form part of the Accounts

Signed in terms of our report of even date

For K P E J & CO LLP

Chartered Accountants

FRN-030540C



CA DINESH KHERODIA

Partner

Membership Number - 195416





(Smt. Pushpa Singhavi)

President



(Smt. Shakuntala Pamecha)

Secretary

Date: 05.09.2024

Place: Kankroli, Rajsamand

UDIN: 24195416BJZMU4339

RAJSAMAND JAN VIKAS SANSTHAN

Women progress centre, Somnath Circle, Nathdwara Road, Kankroli , Rajsamand-313324

CONSOLIDATED

Receipt & Payment Account for the year ending 31st March, 2024

(In Rs.)

RECEIPTS	AMOUNT	PAYMENTS	AMOUNT
Opening Balance		Administrative Expenses	
Cash & Cash Equivalents :		Audit & Accounting Fee	68,989
Cash	64,943	Rent expenses	80,500
Bank balance		Office expense	145,491
Saving Bank	747,064	Photocopy & Stationary	6,419
Fixed Deposit	3,999,707	Newspaper and periodicals	4,530
	4,811,714	Repairs & Maintenance	27,695
Grant/Donation Received (2022-23)		Telephone & Mobile	59,718
Grant in Aid - FCRA A/c.	9,884,644	Travelling & Conveyance Expenses	6,393
Donation	11,175	House Keeping Expenses	17,806
		Water & Electricity expenses	89,638
Interest income		Gardening & Cleaning Exp	26,120
Interest on Saving account	178,801	Bank charges	19,503
Interest on Fixed deposit	223,012		552,802
	401,813		
Refund received against expense		Programme Expenses	
Finnovation	180,000	Fixed & Other Miscellaneous expenses	130,016
		Event expenses	89,940
Other Income		Honourarium expenses	508,367
Library Fees Receipt	149,719	Travelling & Conveyance expenses	272,865
Miscellaneous Income	47,000	Training & workshops	237,294
Cheque returned	1,705	Salary, Compensation & staff welfare expenses	1,861,868
		Awareness & Rally Expenses	147,914
		Review & meeting expenses	54,042
		Field work & visit expenses	378,865
		Printing and stationery expenses	93,736
		SHG Expenses	45,419
		Nari Adalat Meeting Expenses	30,430
		Sangthan Sathiyo Ki Sanjhi Yatra Expenses	1,056,524
		Yuva Mahotsav Expenses	26,256
		Advocacy & legal expenses	19,201
			4,952,737
		Purchase of Fixed assets:	
		Computer & Equipment	209,710
		Furniture & Fixtures	108,040
		Mobile Phones	62,300
		Plant & Machine	21,800
		Building	35,545
			437,395
		Repayment of liabilities	
		Advance expenses paid	18,250
			275,000
		Cash & Cash Equivalents	
		Cash	41,468
		Bank balance	
		Saving Bank	6,233,746
		Fixed Deposit	2,976,372
			9,251,587
TOTAL	15,487,771	TOTAL	15,487,771


The Schedule referred to above form part of the Accounts

Signed in terms of our report of even date

For K P E J & CO LLP

Chartered Accountants

FRN - 030540C




CA DINESH KHERODIA

Partner

Membership Number - 195416





(Smt. Pushpa Singhavi)

President



(Smt. Shakuntala Pamecha)

Secretary

Date: 05.09.2024

Place: Kankroli, Rajsamand

UDIN: 24195416BJZMU4339

हमारे मजबूत स्तम्भ

फुल टाइम स्टाफ	19
पार्ट टाइम स्टाफ	119
वालंटियर्स	21





संपर्क करें

02952-221909



ईमेल

rjvs10@yahoo.in



वेबसाइट

www.rjvs.in



/rjvs.ngo



01, महिला विकास केन्द्र,
सोमनाथ चोराहे के पास, कांकरोली,
राजसमन्द, राजस्थान, 313342